गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण : एक अध्ययन

डॉ0 मुकेश सागर,

समाजशास्त्र,

बी–754, आनंद नगर, गिर्राज जी पार्क के पास,लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

शोध सारांश

विश्व के विकासशील देशों में अग्रणी भारत जहाँ कई क्षेत्रों में विश्व के अन्य देशों की तुलना में विशिष्ट स्थान रखता है वहीं दूसरी ओर अपनी गरीबी का भयंकर समस्या एवं महिला उत्थान के क्षेत्र में धीमी प्रगति का सूचकांक दर्शाता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से इसी लक्ष्य को केद्र में रखकर गरीबी उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण में सूक्ष्म वित्त की भूमिका का अध्ययन किया गया है। वास्तव में भारत विश्व की विशालतम जनसंख्या वाला राष्ट्र है जहाँ अनेक भाषा भाषी जाति संस्कृति एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। इस देश की सबसे विभिन्न परम्परा अनेकता में एकता है इसलिए भारत को संस्कृति दृष्टि से विश्व में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए उपलब्धियाँ के ऊँचे मापदण्ड तय किये गये। इनमें विशेष रूप से शिक्षा में आत्मनिर्भरता, औद्योगीकरण, नहरे, सड़कें आदि का चहुँमुखी विकास कर राष्ट्र को विकास की धारा से जोड़ा है लेकिन इसके पश्चात् में यह विकास विशेष रूप से नगरीय क्षेत्र में ही दृष्टिगोचर होता है। स्वतंत्रता के लगभग पांच दशक तक ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मानव दलित, पीड़ित शोषित एवं निर्धनता का जीवन जीने को मजबूर हैं।

Keywords: *गांव,गरीबी, देश,उन्मूलन एवं महिला सशक्तिकरण*

भारत गांवों का देश है और उसमें से लगभग आधे गांव की सामाजिक, आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए ठोस प्रयास किये गये है। इसलिए ग्रामीण विकास की एकीकृत अवधारणा रही है और सभी पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन की सर्वोपरि चिन्ता रही है। ग्रामीण कार्यक्रम में निम्नलिखित का समावेश है–

1. समाजिक–आर्थिक के लिए सामाजिक सेवाओं जैसे– स्वास्थ्य, शिक्षा का प्रावधान।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में सुधार
3. ग्रामीण क्षेत्रों मे आधार भूत सुविधाओं जैसे– स्कूल, स्वास्थ्य, सुविधाओं सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का प्रावधान।
4. कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारों और स्व सहायता समूह (एस.एच.जी.) के लिए सहायता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हमारी योजना प्रक्रिया का एक प्राथमिक विषय है। तदनुसार स्थायी आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली सुधारने के लिए सतत् प्रयास किए गये है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ग्रामीण विकास एक नोडल संगठन है। जो ग्रामीण जनता के सर्वांगीण

विकास करने के लिए समर्पित है। यह विस्तृत पैमाने से सुनिश्चित किया जाता है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण शहरी विभाजन को पाटना, गरीबी हटाना, रोजगार सृजन मूल संरचना विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। विभाग आवश्यक सेवा भी प्रदान करता है। और अन्य गुणवत्ता इनपुट जैसा कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी और पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई. एस.) के शहरीकरण के लिए सहायता, प्रशिक्षण और अनुसंधान मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्यो का विकास आदि योजनाओं और कार्यक्रमों के नियमित क्रियान्वयन के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति

महिलाओं की स्थिति वैदिककाल से ही सहभागी की रही है महिलाओं को प्रत्येक कार्य में भागीदारी की पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन बीच के काल में महिलाओं को कुछ गतिविधियों से दूर रखा जाने लगा था 19 वीं सदी के आते–आते महिलाओं की दशा दयनीय हो गयी थी और स्त्री भोग–विलास की वस्तु बन कर रही गयी।

बीसवीं सदी में भी इनकी स्थिति में विशेष बदलाव नहीं आये लेकिन अनेक समाज सुधारकों के प्रयास से परिणाम सकारात्मक जरूर रहे और अनेक प्रयास, एक्ट पास करके भी किये गये।

21वीं सदी में महिलाओं की दशा में तेजी से बदलाव आया और महिलायें पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने लगी, वे प्रत्येक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार समाज कल्याण, राजनीति सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान करने लगी है।

महिलायें अब प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के साथ बराबर की भागीदारी निभा रही है, और घर की चार–दीवारी से बाहर निकल कर प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही है। शोधपत्र में केवल महिला मजदूरों को ही लिया गया है।

महिलाओं को सशक्त करने से पूर्व उनकी आर्थिक स्थिति पर शोध पत्र द्वारा प्रकाश डाला गया है। महिलायें आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर गरीबी से बाहर आने के लिए वे कौन–कौन से कार्य कर रही हैं जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, यह कार्य निम्नलिखित हैं :–

अचार–उद्योग :– महिलायें निम्न प्रकार के अचार तैयार करती हैं, नीबू, मिर्ची, आम, गाजर, अदरक, मटर, चने, आँवले, कटहल, लहसुन, टमाटर, प्याज, टेंटी, करेला, करोंदा, का अचार तैयार करती हैं।

पापड़ उद्योग :– महिलायें पापड़ उद्योग के अन्तर्गत भी कार्य करती हैं। वे मूँग, उड़द, मसूर, आलू, चावल, साबूदाने, मक्के, मैदा, सूजी, के पापड़ तैयार करती हैं। इसके अतिरिक्त चिप्स तैयार करती हैं, केले, आलू।

भवन निर्माण :– महिला श्रमिकें भवन निर्माण का कार्य भी करती हैं, इस क्षेत्र में स्थानीय महिला मजदूरों का अभाव होता है, इसमें कार्यरत महिला श्रमिक जिले से बहार की होती हैं, ये समान्यतः छतरपरु, टीकमगढ़, पन्ना एवं छत्तीसगढ़ की होती है।

सड़क पुल निर्माण :– इस क्षेत्र की तुलना भवन निर्माण क्षेत्र से की जाती है, इसकी स्थिति भवन निर्माण क्षेत्र जैसी ही है, क्योंकि ये कार्य जोखिम पूर्ण होने के साथ–साथ कम मजदूरी देने वाला होता है। सड़क पुल, निर्माण का कार्य वर्ष के कुल महीने में ही होता है, इसलिये इस क्षेत्र की महिलाओं को इस व्यवसायिक क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र की तलाश करनी पड़ती है।

ईंट भट्टा पर कार्य :– ईंट–भट्टा का कार्य सामान्यतः शहर के समीप ग्रामीण परिवेश में ही सम्पन्न होते हैं लेकिन शहर की आबादी तीव्र गति से बढ़ने के कारण ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में

आ जाते हैं इसलिए इनका अध्ययन शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है। इसमें कार्यरत महिलायें सामान्यतः वर्ष भर कार्य करती हैं, लेकिन ये कुछ महिनों के लिये अपने गृह जिले में जाती है, क्योंकि इनका अपने गांव व निवास स्थान पर कृषि का कार्य भी रहता है।

ग्रामीण महिला का गरीबी उन्मूलन में योगदान

यह विचारणीय तथ्य है कि महिला ने विकास के प्रत्येक पथ पर पुरूष के साथ–साथ, कदम से कदम मिलाकर न केवल अपने बल्कि सम्पूर्ण समाज के विकास रूपी कल्याण में अह्म भूमिका निभायी है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा जो व्यापक स्तर पर कार्यक्रम चलाये जा रहे है उनकी सफलता अथवा असफलता महिलाओं के योगदान पर ही निर्भर करती है। वास्तव में यह सत्य है कि महिलाऐं किसी भी समाज अथवा राष्ट्र के उपलब्ध मानव संसाधन के उस अहम् हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है जो दुर्भाग्यवश अभी तक राष्ट्र के आर्थिक– सामाजिक विकास हेतु निश्चित नहीं हो पाई हैं।

भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता की यह बड़ी विडम्बना है कि महिलाएँ विद्यादायिनी सरस्वती, शक्तिदायनी भगवती और धन समृद्धिदायिनी लक्ष्मी के रूप में पूजी तो जाती हैं परन्तु यह ज्ञान, शक्ति और सम्पत्ति रूपी नारी आज भी आर्थिक–सामाजिक दासता से पूरी तरह उभर नहीं पायी है। भारतीय नारी आज भी पुरूषों पर पूर्णतया निर्भर है। इसलिये कहा जाता है कि ''भारतीय नारी बाल्यावस्था में पिता पर, यौवनावस्था में पति पर तथा वृद्धावस्था में पुत्र पर निर्भर रहती है।

आर्थिक विकास के प्रति बढ़ती जागरूकता, बदलता सामाजिक परिवेश, बदलती संस्कृति और आधुनिक सभ्यता ने विश्व के विभिन्न समाजों को प्रभावित किया है। भारतीय समाज भी इससे अछूता नहीं है। महिलाओं ने विभिन्न कार्य क्षेत्रों की चुनौतियों को स्वीकार कर अपनी उपयोगिता स्थापित की है। आज विभिन्न आर्थिक –सामाजिक कार्यक्षेत्रों में महिलाओं ने सफलता हासिल कर यह सिद्ध किया है कि महिलाएँ परम्पराओं से हटकर एक नवीन संस्कृति की रचना कर सकती है। उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की निरन्तर बढ़ती भागीदारी एवं सफलता से उद्यमिता के विकास को एक नवीन दिशा मिली है।

ग्रामीण महिलाओं ने अपना सशतिकरण कर गरीबी उन्मूलन में अह्म भूमिका का निर्वहन किया है। गरीबी उन्मूलन की प्रभावी सफलता के लिए महिलाओं में निम्न विशिष्ट गुणों का होना आवश्यक है–

आत्मविश्वास

प्रायः यह देखने में आता है कि व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाएँ पुरूषों के मुकाबले हीन भावना से ग्रस्त रहती हैं। इसके विपरीत एक सफल महिला उद्यमी स्वयं को पुरूषों के समकक्ष मान कर पूर्ण आत्मविश्वास से कार्य करती है।

सफलता के लिये सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्मविश्वास है। प्रायः महिलाएं पुरूषों की तुलना में अपनी योग्यता का कम मूल्यांकन करती हैं जबकि सफल होने के लिए उसका दृढ़ निश्चय पुरूष की तुलना में ज्यादा होना आवश्यक है। जब एक बार महिला आत्मविश्वास के साथ किसी संस्था में स्व–प्रतिष्ठा बना लेती है तो सभी लोग उसे स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाते हैं। इसके लिए महिलाओं के भीतर भी परिवर्तन होना आवश्यक है। प्रायः महिलाएं परिवर्तन को स्वीकार न करके अपनी प्रगति एवं योग्यताको अवरूद्ध करती है। ऐसी महिलाएं पुरूष प्रतिस्पर्धा से भयभीत रहती हैं तथा अक्सर निराशा ही प्राप्त करती हैं।

शिक्षा एवं सामर्थ्य :– उद्यमिता के क्षेत्र में सफल होने के लिए महिला में शिक्षा एवं सामर्थ्य का होना आवश्यक है। इसी गुण के द्वारा वह उद्यमशीली कार्यो का निष्पादन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकती है। यद्यपि सामर्थ्य का मुद्दा पुरूष तथा महिला दोनों पर समान रूप से लागू होता है, फिर भी महिला के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे परिश्रम तथा सामर्थ्य के द्वारा यह सिद्ध करना होता है कि वह पुरूष के बराबर कार्य कर सकती है।

आक्रामकता :– उद्यमिता क्षेत्र में सफलता के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण गुण आक्रामकता है। यदि किसी महिला में स्वयं की योग्यता को प्रकट करने का विशेष आत्म विश्वास है तो वह उद्यमशील कार्य को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकती है। आक्रामकता से आशय यह है कि उसे किसी भी सीमा तक उत्तरदायित्व को ग्रहण करने से भयभीत नहीं होना चाहिए, कठोर प्रतिस्पर्धा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए, पुरूषों के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु तत्पर रहना चाहिये, उद्यमिता जॉब के लिए वांछित स्तर पर योग्यता होनी चाहिए।

दृढ़ता– महिला उद्यमी में अपने सपनो ंको पूरा करने या क्रियान्ति करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिये।

महिला उद्यमी में जोखिम को वहन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तथा वह अपनी योग्यता के द्वारा बेहतर पूर्वानुमान, निर्णयन, नियोजन तथा गणना का कार्य कर सकती है। अतः एक महिला में दृढ़ निश्चय एवं योग्यता रूपी विशिष्टता होनी चाहिए। अन्तर्ज्ञान, संवेदनशीलता, समझ, निष्पक्षता, उत्साह तथा नयी शैली द्वारा वह उद्यमिता जॉब में पूर्णतः सफल हो सकती है तथा पुरूष की भाँति क्रमशः विकास के चरम बिन्दु पर पहुँच सकती है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण महिलायें निरन्तर संघर्ष कर रही हैं, वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य कर रही हैं। वे अपनी आत्मविश्वास, दृढ़ता से वह सभी कार्य कर रही हैं जो पहले पुरुषों के होते थे। आज महिलायें सशक्त होकर गरीबी उन्मूलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- अल्टेकर,ए.एस. (1958): द पोजिशन ऑफ वुमेन इन हिन्द सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली।
- आहुजा राम (1996) भारतीय सामाजिक व्यावसायिक रावत पब्लिकेशन जयपुर।
- कपाड़िया के. एम (1995) भारतवर्ष में विवाह एवं परिवार हिन्दी अनुवाद हरिकृष्ण रावत मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली।
- सिहं रश्मि (1996): असंगठित उद्योगों में कार्यरत श्रमिक महिलायें, अप्रकाशित शोध ग्रन्थ,बी.एच.यू. वाराणसी।
- सिंह, श्यामधर एवं अशोक कुमार (2005) भारत में महिला सशक्तिकरण एवं वैधानिक प्रावधान, राधाकमल मुखर्जी, चिन्तन की परम्परा, वर्ष 7 अंक 1,जनवरी–जून, पृ. 23 39.
- मुखार, स्मृति (2005) आधुनिक नारी की विवाह के प्रति अपेक्षायें एवं मान्यतायें, राधकमल मुखर्जी, चिन्तन की परम्परा, वर्ष 7, अंक 1 जनवरी–जून, पृ. 67